

संयुक्त राज्य अमेरिका का श्रम विभाग

बालश्रम के सबसे बुरे रूपों के बारे में 2021 के निष्कर्ष

भारत

2021 में, भारत ने बालश्रम के सबसे बुरे रूपों को खत्म करने के प्रयास में मध्यम प्रगति की। बिहार की राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में जीवित बच्चे लोगों के लिए सबसे बड़ा दर्ज भुगतान जारी किया, जिसमें व्यावसायिक यौन शोषण के उद्देश्य से 7 से 17 वर्ष की आयु के बीच की 44 लड़कियों का उत्पीड़न शामिल था। इसके अलावा, भारतीय अधिकारियों ने 2020-2021 के दौरान 58,289 बच्चों को बालश्रम से बचाया, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। जुलाई 2021 में, तेलंगाना में मानव तस्करी विरोधी इकाइयों ने भी 2,500 से अधिक बच्चों को बालश्रम से बचाया और राज्य की मानव तस्करी को रोकथाम और पुनर्वास प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया। हालांकि सरकार ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सभी प्रासंगिक क्षेत्रों में सार्थक प्रयास किए, सरकार ने अपने श्रम कानून प्रवर्तन या अपराधिक कानून प्रवर्तन प्रयासों पर सार्वजनिक रूप से जानकारी जारी नहीं की। भारत में बच्चे व्यावसायिक यौन शोषण सहित बालश्रम के सबसे खराब रूपों का सामना करते हैं और यह कभी/कभी मानव तस्करी के परिणामस्वरूप होता है। बच्चे वस्त्र उत्पादन, पत्थर उत्खनन और ईंट बनाने में भी खतरनाक कार्य करते हैं। जोखिमपूर्ण कार्य निषेध में वे सभी व्यवसाय शामिल नहीं हैं जिनमें बच्चे असुरक्षित तथा अस्वास्थ्यकर वातावरण में काम करते हैं, और बच्चों को काम पर रखने की सजाएँ इतनी पर्याप्त नहीं हैं कि उल्लंघनों को रोक सकें। बालश्रम अपराधों के प्रवर्तन से संबंधित पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों के बीच व्यापक भ्रष्टाचार के बारे में भी गंभीर चिंताएं हैं जिससे इस तरह के अपराधों की जांच और अभियोजन में सक्रिय रूप से बाधा आती है और पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार होता है। इसके अलावा आश्रय गृहों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार जारी है जो पर्याप्त सरकारी निरीक्षण या जवाबदेही के बिना चलाए जाते हैं।

बाल श्रम खत्म करने के लिए सुझाई गई सरकारी कार्यवाहियां

क्षेत्र	सुझाई गई कार्यवाही	सुझाव का काल वर्ष
कानूनी ढांचा	काम के लिए न्यूनतम आयु उस आयु तक बढ़ाई जाए जब तक शिक्षा अनिवार्य है।	2018 – 2021
	यह सुनिश्चित किया जाए कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जोखिमपूर्ण कामों पर निषेध हो जिनमें ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जिनमें बच्चे असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में लंबी अवधि तक काम करते हैं जैसे कि कटाई मिलें, वस्त्र-उत्पादन, कालीन निर्माण, और घरेलू काम।	2016 – 2021
	यह सुनिश्चित किया जाए कि गैर-सरकारी सशस्त्र दलों द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की भर्ती पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून जम्मू और कश्मीर सहित भारत के सभी क्षेत्रों पर लागू हो।	2016 – 2021

	वह क़ानूनी दस्तावेज़ प्रकाशित किया जाए जो भारत की सशस्त्र सेना में स्वैच्छिक भर्ती के लिए न्यूनतम आयु स्थापित करता है।	2018 – 2021
प्रवर्तन	सुनिश्चित किया जाए कि भारत में श्रम निरीक्षकों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की तकनीकी सलाह को पूरा करती है और सभी प्रांतों में बाल श्रम क़ानूनों के लागू करने के लिए प्रशिक्षित और ज़िम्मेदार निरीक्षकों की संख्या पर्याप्त है।	2021
#	सुनिश्चित किया जाए कि आंध्र प्रदेश में लंबित इकाइयों सहित मानव तस्करी रोधी इकाइयों की संख्या पर्याप्त है।	2021
	सुनिश्चित किया जाए कि मानव तस्करी रोधी इकाइयाँ चालू हैं और उन्हें अपना काम ठीक तरह से संपन्न करने के लिए पर्याप्त धन और मानव संसाधन प्राप्त होते हैं। सुनिश्चित किया जाए कि वित्त पोषण बुनियादी ढाँचे के सुधारों से आगे तक जाता है और मानव तस्करी विरोधी प्रयासों के लिए निर्देशित किया जाता है।	2019 – 2021
	श्रम क़ानून प्रवर्तन के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े एकत्र और प्रकाशित किए जाएं जिनमें श्रम-निरीक्षणालय के लिए धन का आंकड़ा, श्रम-निरीक्षकों की संख्या, किए गए निरीक्षणों की संख्या और किस्म, यह संख्या कि कितने बाल-श्रम उल्लंघन पाए गए, और उन बाल-श्रम उल्लंघनों की संख्या शामिल हो जिनके लिए जुर्माने लगाए और वसूल किए गए।	2014 – 2021
	सुनिश्चित किया जाए कि श्रम तथा आपराधिक क़ानून निरीक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो, कि पर्याप्त संख्या में श्रम निरीक्षण किए जाएं, कि उन सभी क्षेत्रों में नियमित रूप से श्रम निरीक्षण किए जाएं जहाँ बाल-श्रम होता है, और कि शिकायतों पर कार्यवाही संबंधी तंत्र समय की दृष्टि से कार्यकुशल हो।	2019 – 2021
	बंधुआ श्रम व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम के तहत बंधुआ श्रम और श्रम तस्करी से संबंधित क़ानूनों को लागू किया जाए।	2021
	सुनिश्चित किया जाए कि बंधुआ मजदूरी के मामलों में तेजी से कार्रवाई हो रही है और राज्य सरकारें बंधुआ मजदूर पीड़ितों के लिए रिहाई प्रमाण पत्र जारी कर रही हैं और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं जिसमें बंधुआ मजदूरी से मुक्त लोगों के लिए पूरा मुआवजा भी शामिल है।	2021
	सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय और राज्य स्तर पर राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्ति कृषि और ईट भट्ठा श्रमिकों को बंधुआ मजदूरी में रखने के लिए अभियोजन का सामना करे।	2021
	आपराधिक जांचकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण आपराधिक जांचों की संख्या पाए गए उल्लंघनों की संख्या शुरू किए गए मुक़दमों की संख्या और दोषियों की संख्या सहित आपराधिक क़ानून प्रवर्तन प्रयासों पर सभी राज्य सरकारों से राष्ट्रीय स्तर के डेटा एकत्र और प्रकाशित किया जाए।	2009 – 2021

सुनिश्चित किया जाए कि बाल श्रम के सबसे खराब रूपों से संबंधित उल्लंघनों के लिए दंड लगाया जाता हो और अपराधिक अधिकारियों और सामाजिक सेवाओं के बीच एक पारस्परिक परामर्श व्यवस्था मौजूद हो।	2021#
सुनिश्चित किया जाए कि जो कानून प्रवर्तन अधिकारी जो मानव तस्करी से बचे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या मामलों में देरी करते हैं या को उन्हें जोखिम में डालते हैं वे उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करें।	2021#
सुनिश्चित किया जाए कि कानून प्रवर्तन अधिकारी बाल श्रम अपराधों की जांच करते हैं और बंधुआ मजदूरी से जुड़े मामलों सहित मामलों में समयबद्ध तरीके से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हैं।	2021#
बाल श्रम कानून के उल्लंघनों को सार्थक रूप से रोकने के लिए पर्याप्त रूप से मंहंगे दंडों को लगातार लागू किया जाए।	2014 – 2021#
सुनिश्चित किया जाए कि बाल श्रम के सबसे खराब रूपों में मदद करने वाले या इसमें भाग लेने वाले सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए जिसमें वे अधिकारी भी शामिल हैं जो कानून से सुरक्षा के बदले में रिश्वत लेते हैं।	2018 – 2021#
सुनिश्चित किया जाए कि अदालतों में उत्तरजीवी सुरक्षा उपायों को लागू किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम अदालतों के न्यायाधीशों और अभियोजकों के पास बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण से जुड़े अपराधों पर पर्याप्त प्रशिक्षण या विशेषज्ञता है।	2020 – 2021#
सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्त पोषित और निजी तौर पर संचालित आश्रय गृहों में संदिग्ध दुर्व्यवहार और दुराचार की जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी आश्रय गृह पंजीकृत हैं और पर्याप्त निरीक्षण के अधीन हैं उनमें बच्चों को शारीरिक और यौन शोषण से बचाने के लिए तंत्र मौजूद हैं और सभी स्टाफ सदस्य दुर्व्यवहार के संकेतों को पहचानने और रिपोर्ट करने के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।	2018 – 2021#
सुनिश्चित किया जाए कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास मानव तस्करी द्वारा उपयोग किए जाने वाले तकनीकी उपकरणों पर प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त तकनीकी और वित्तीय संसाधन हैं।	2020 – 2021#
मानव तस्करी के मामलों के लिए अभियोजन दर को बढ़ाया जाए और दोषसिद्धि के बाद पर्याप्त सजा की मांग की जाए।	2021#

समन्वय	सुनिश्चित किया जाएगा कि मानव तस्करी के मामलों को सही इकाई में स्थानांतरित करने सहित स्थानीय पुलिस और मानव तस्करी रोधी इकाइयों *AHTUs के बीच समन्वय तंत्र मौजूद है।	2021
सरकारी नीतियां	जिन राज्यों और क्षेत्रों के पास वर्तमान में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कार्य योजना नहीं है उन्हें ऐसी योजनाओं को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।	2011 – 2021
	सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और राज्य कार्य योजना को लागू करने के लिए गतिविधियाँ की जाती हैं और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कार्यान्वित गतिविधियों के परिणाम प्रकाशित किए जाते हैं।	2018 – 2021
सामाजिक कार्यक्रम	दूरस्थ शिक्षा संपत्तियों को समर्पित पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर तथा बच्चों के भेदभाव और उत्पीड़न में लिप्त शिक्षा अधिकारियों को दंडित करके शिक्षा के लिए समान और व्यापक पहुंच सुनिश्चित की जाए।	2014 – 2021
	शिक्षा के प्रति बाधाओं को विशेष रूप से शरणार्थी बच्चों तथा वंचित समुदायों के बच्चों के लिए बाधाओं को कम किया जाए और यह काम अध्यापकों को पर्याप्त प्रशिक्षण देकर लड़कियों के लिए अलग और साफ सुथरे गुसलखाने उपलब्ध कराकर तथा उपलब्ध स्कूलों की संख्या बढ़ाकर किया जा सकता है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अपर्याप्त आधारिक संरचना तथा परिवहन विकल्प शिक्षा तक पहुँच को सीमित करते हैं।	2021
	सुनिश्चित किया जाएगा कि शोषणकारी बाल श्रम के बारे में आंकड़े एकत्रित किए जाएं और निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाएं जिनमें जिला स्तर पर बंधुआ श्रम सर्वेक्षणों से मिले निष्कर्ष तथा राष्ट्रीय जनगणना से प्राप्त कच्चे आंकड़े शामिल हैं।	2009 – 2021
	सुनिश्चित किया जाएगा कि उज्ज्वला और स्वाधार गृह आश्रय स्थान लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पंजीकरण दिशानिर्देशों को पूरा करते हैं जिसमें निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदनों पर कार्रवाई करना शामिल है।	2021
	सुनिश्चित किया जाएगा कि आश्रय गृह सुरक्षित हैं और हॉस्टलों के रूप में काम नहीं कर रहे हैं जिसमें गैर/उत्तरजीवी मेहमानों को आवास प्रदान करना शामिल है।	2021